under HYV of rice and adoption of short and medium duration varieties, low level adoption of improved production technology, low fertiliser use, dependence of large rice area on monsoon and adoption of crop rotation with two crops in a year in most irrigated area as compared to a single crop of rice in several other countries.

(d) In order to increase export of rice, various measures, such as, removal of price and quantity restrictions on the export of both basmati and non-basamati rice, assistance in organising overseas campaigns and participation in trade fairs/exhibitions, provision of financial assistance to exporters in improving quality, packing, brand promotion of products, conducting market surveys, etc. have been taken. With a view to raise productivity and production of rice, Government is implementing a Centrally sponsored Scheme, namely, the Integrated Cereal Development Programme (ICDP-rice).

Threat of Extinction to River Dolphins

*337. DR. PAPU KALDATE: Will the Minister of AGRICUTURE be pleased to state:

(a) whether river Dolphins face a threat of extinction;

(b) if so, the steps proposed to prevent fishermen from catching river Dolphins by amending the Indian Fisheries Act;

(c) wheher Dolphins sanctuaries would be opened on the banks of slected rivers for preserving the aquatic bio-diversity; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICUTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) and (b) River Dolphins (Gangetic dolphin) are mammals already protected under Schedule 1 of the Wild Life (Protection) Act, 1972, administered by the Ministry of Environment & Forest. The capture and killing of river dolphins (Gangetic dolphin) is prohibited under this Act. There is no immediate threat of extinction of river dolphins. There is no proposal for amendment of the Indian Fisheries Act.

(c) and (d) There is no such proposal under the consideration of Government.

महिला समृद्धि योजना

*338. **श्री इकबाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत देश की ग्रामीण महिलाओं द्वारा विभिन्न डाकघरों में खोले गये खातों का राज्य-वार तथा क्षेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार महिला समृद्धि योजना के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण महिलाओं को और अधिक समर्द्ध तथा व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है और इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): (क) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण डाकघरों में कुल 95.324 लाख खाते खोले जा चुके हैं। राज्यवार विवरण संलग्न (नीचे देखिये)

जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी

(ग) जी, हाँ।

(घ) महिला समृदि योजना के उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण महिलाओं का सरकारी कार्यकर्त्ताओं के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष और इन्दिरा महिला योजना के माध्यम से बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि उन्हें आसानी से ऋण प्रदान किया जा सके और महिलाओं के लिये चलाये जा रहे सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों और सेवाओं के संकेन्द्रण सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

महिला समृद्धि योजना का उपलब्धियां तथा लक्ष्य/उपलब्धियों का प्रतिशत

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3 करोड़ खातों में से प्रत्येक राज्य के आनुपातिक हिस्से के आधार पर 31.3.1996 तक लक्ष्य (आंकड़े लाखों में)	जून 1995 तक खोले गए खातों की संख्या (आंकड़े लाखों में)	लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का प्रतिशत	जून 1995 तक जमाराशि	प्रतिखाता जमा औसत राशि	राज्यवार समीक्षा समिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.467	16.357	105.76	16.870	103	हां
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.240	0.019	7.85	0.015	80	नहीं
3.	असम	6.339	8.788	138.64	4.568	52	हां
4.	बिहार	23.666	2.128	8.91	2.572	121	नहीं
5.	दिल्ली	3.302	0.043	14.26	0.081	187	हां
6.	गोआ	0.220	2.207	94.21	0.303	146	हां
7.	गुजरात	8.610	1.774	20.61	3.601	203	हां
8.	हरियाणा	3.948	1.846	46.75	3.237	175	हां
9.	हिमाचल प्रदेश	1.502	0.782	52.06	1.816	233	हां
10.	जम्मू और कश्मीर	1.870	0.254	13.60	0.360	142	हां
11.	कर्नाटक	9.884	7.746	78.37	8.609	111	हां
12.	केरल	6.814	3.864	56.72	3.850	100	हां
13.	मध्य प्रदेश	16.174	10.695	66.12	6.734	63	हां
14.	महाराष्ट्र	15.396	4.252	27.61	7.182	169	हां
15.	मणिपुर	0.424	0.077	18.07	0.049	64	हां
16.	मेघालय	0.460	0.013	3.94	0.009	52	हां
17.	मिजोरम	0.119	0.082	69.01	0.076	96	हां
18.	नागालैण्ड	0.318	0.008	2.59	0.019	225	हां
19.	उड़ीसा	8.725	3.467	39.74	4.486	129	हां
20.	पंजाब	4.546	2.756	60.64	3.327	121	हां
21.	राजस्थान	10.796	1.754	16.25	2.864	163	हां
22.	सिक्किम	0.118	0.030	25.75	0.011	36	नहीं
23.	तमिलनाडु	11.711	16.251	138.89	10.025	62	नहीं
24.	त्रिपुरा	0.743	0.163	21.89	0.195	120	हां
25.	उत्तर प्रदेश	35.473	9.781	27.57	12.399	127	हां
26.	पश्चिम बंगाल	15.706	1.907	12.14	3.366	176	हां
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.066	0.031	48.06	0.043	138	हां
28.	चंडीगढ़	0.022	0.066	305.40	0.035	54	हां
29.	दादर और नागर हवेली	0.040	0.014	35.50	0.017	121	नही
30.	दमन और दीव	0.017	0.004	23.71	0.008	209	नही
31.	लक्षद्वीप	0.008	0.010	138.80	0.015	145	नही
32.	पांडिचेरी	0.093	0.160	111.70	0.082	51	नही
	योग	200.000	95.324	47.66	96.810	102	24